

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

इहमात वौरा बनाम केसरराम वौरा

किस्म मुकदमा राजस्व अधिनियम मुकदमा नम्बर 162/2024

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|------------------------------|--|
|------------|------------------------------|--|

18/06/24

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री श्री. श्यामराम पुतंड यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 R.R. Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेपॉर्टेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/07/2024 को पेश हो।

11/07/24

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री. श्यामराम पुतंड के Notice Register तामील शुदा उपर निम्न वास्ते पत्रावली किया जा रहा है। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु आदेश दिनांक 23/07/24 को पेश हो।

23/07/24

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री. श्यामराम पुतंड के नोटिस तामील शुदा उपर होने के बावजूद श्री. श्यामराम पुतंड ने नोटिस के अन्तर्गत पत्रावली पेश की है। अतः उनसे विरुद्ध एक्स्प्रेस

कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील आर्ची
के बहज सुनने का निवेदन किया। वकील आर्ची
की बहज सुनी गई। बहज पर मनन किया गया।
पत्रावली एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया। जितने उगले होना है कि
आर्ची का आर्चना पर स्वीकार करने प्रयत्न है।

कल: नरकमबंदी निर्णय अलग से लिखा जाऊ
शांमल पत्रावली किया गया। पत्रावली फुसल सुमार
होकर वास्तव दफ्तर हो संख्या के क्रम हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 162/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

हनुमान वगैरा बनाम केसराराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री आम्बाराम पूनड

निर्णय


दिनांक – 23/07/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र गंगासरा भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा मूढनगर के खेत खसरा संख्या 546 रकबा 5.8194 हैक्टेयर किस्म बा.सो. व खसरा संख्या 561 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी खसरा संख्या 562 रकबा 8.2960 किस्म बा.अवल स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र गंगासरा भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा मूढनगर के खेत खसरा संख्या 546 रकबा 5.8194 हैक्टेयर किस्म बा.सो. व खसरा संख्या 561 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी खसरा संख्या 562 रकबा 8.2960 किस्म बा.अवल की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 23/07/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(विरेन्द्रसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

| | | |
|--|--------------------|--|
| <p>प्रार्थी</p> <ol style="list-style-type: none"> हड्डमान पुत्र देवा खीमी पत्नि गिरधारी चूना पुत्र देवा प्रभू पुत्र घीसा बाधू पत्नि देवा खेराज पुत्र देवा जाति कुम्हार, निवासी मूढनगर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। | <p>बनाम</p> | <p>विप्रार्थीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> केसराराम पुत्र भारूराम कालूराम पुत्र पुनमाराम गोरखा पुत्र खीया चेनाराम पुत्र भारूराम नवलीदेवी पत्नि भारूराम बागा पुत्र खीया भीखीदेवी पत्नि जेसाराम श्रीराम पुत्र भारूराम जूजाराम पुत्र धुडाराम रतनाराम पुत्र धुडाराम श्रीराम पुत्र हेमा हरिराम पुत्र धुडाराम देवाराम पुत्र दुर्गाराम दीपाराम पुत्र धुडाराम नानगाराम पुत्र धुडाराम पुनमाराम पुत्र धुडाराम बाबूराम पुत्र दुर्गाराम भंवराराम पुत्र धुडाराम माडुदेवी पत्नि धुडाराम मानी पत्नि दुर्गाराम जूंझा पुत्र चौखा माडुदेवी पत्नि चूनाराम अणसी पत्नि गोरखाराम कमा पुत्र बीजा मीरा पुत्र बीजा सुआ पत्नि काला जातियान जाट निवासी मूढनगर तहसील सेड़वा राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा |
|--|--------------------|--|

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन संख्या 162/2024

दिनांक : 23/07/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र गंगासरा भू.अ. नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा मूढनगर के खेत खसरा संख्या 546 रकबा 5.8194 हैक्टेयर किस्म बा.सो. व खसरा संख्या 561 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी खसरा संख्या 562 रकबा 8.2960 किस्म बा. अक्वलके चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


(विरेंद्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी

सेड़वा

दिनांक 24/07/2024

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2326-29

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी हड्डमान पुत्र देवा वगैरा।
3. विप्रार्थीगण केसराराम पुत्र भारूराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।


उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा